भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 409
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री और आगमन पर वीजा (वीजा–ऑन–अराइवल) की सुविधाएं बढ़ाने की पहल

409. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा यात्रा करने या आगमन पर वीजा देने की सुविधा प्रदान करने वाले देशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या पहल की है;

(ख) भारतीय पर्यटकों के लिए बिना वीजा यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों या वार्ताओं के संबंध में हाल ही में क्या प्रगति हुई है ;और

(ग) सरकार भारतीय नागरिकों के बीच बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा देने वाले देशों और तत्संबंधी यात्रा लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या योजना बना रही है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) विदेशी नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश/आगमन पर वीज़ा सुविधा प्रदान करना, प्राप्तकर्ता राष्ट्र का संप्रभु और एकपक्षीय निर्णय है, और यह द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिकता के सिद्धांत सहित विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करता है।

हालांकि, भारत सरकार लगातार ऐसे देशों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है जो भारतीयों को दुनिया भर में यात्रा करने में आसानी के लिए वीजा मुक्त प्रवेश यात्रा और आगमन पर वीजा प्रदान करें। यह मंत्रालय अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में विभिन्न स्तरों पर भारतीय नागरिकों के लिए आसान और उदार वीजा प्रक्रिया का मुद्दा उठाता है।

भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश/आगमन पर वीज़ा/ई–वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले देशों का विवरण विदेश मंत्रालय द्वारा समय–समय पर अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक: https://www.mea.gov.in/VFFIN.htm पर प्रकाशित और अद्यतन किया जाता है। किसी विशेष देश की यात्रा करने का इच्छुक भारतीयों के लिए यात्रा दिशानिर्देश उस देश में स्थित भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
